केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 168/टीएल/2024 दिनांक: 21.8.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा "विनियमित टैरिफ तंत्र" (आरटीएम) मोड (इसके बाद "पारेषण योजना/परियोजना" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से "केपीएस2 के बे नं. : 416 (400केवी बस सेक्शन–I) पर आरई विकासकर्ता के डीटीएल के अंतरसंयोजन" के लिए पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्र सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	मद विवरण	कार्यान्वयन की समय–सीमा
1.	केपीएस2 के बे संख्या 416 (400केवी बस सेक्शन–1) पर आरई विकासकर्ता की समर्पित पारेषण लाइन के भौतिक अंतरसंयोजन के लिए अपेक्षित अन्य विविध कार्यों सहित अतिरिक्त लाइन बे उपकरण का कार्यान्वयन	योजना के कार्यक्षेत्र को पूरा करने के लिए यथापेक्षित	28.3.2025 (नोट सं. क का संदर्भ लें)

नोट : क) कार्यान्वयन एजेंसी खावड़ा फेज–II पारेषण प्रणाली के आरंभ होने की अनुसूची सहित विषयगत पारेषण योजना की कार्यान्वयन समय–सीमा के अनुरूप होगी जो मौजूदा स्थिति में 28.3.2025 तक होना प्रत्याशित है।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 17.4.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं.168/टीएल/2024 में दिनांक 20.8.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड को अंतराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंधों एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(5) के खंड(क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 3.9.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 5.9.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव